



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9774

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43069 वर्ष 2025

विशाल पाण्डेय

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा, नीरज कुमार सिंह
विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: जी.ए., प्रवीण कुमार त्रिपाठी, सरोज कश्यप

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री नीरज कुमार सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सरोज कश्यप, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 451 वर्ष 2025, धाराओं 109(1), 351(3), 352, 103(1) बी.एन.एस., थाना - कोतवाली चुनार, जिला - मिर्जापुर में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, सह-अभियुक्त नगेंद्र भाटिया द्वारा सूचनाकर्ता के मित्र आयुष राज को फोन पर बुलाया जाना बताया गया है, जिस पर आवेदक, सह-अभियुक्त नगेंद्र भाटिया और तेज प्रकाश यादव द्वारा दिनांक 21.9.2025 को लगभग 05:00 बजे सायं सूचनाकर्ता और उसके मित्र आयुष राज पर हमला करके उन्हें गंभीर चोटें पहुँचाना बताया गया है, जिससे आयुष राज बेहोश हो गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में साढ़े चार घंटे से अधिक की देरी हुई है और इस विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह आरोप है कि सूचनाकर्ता घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया क्योंकि वह बेहोश हो गया था।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा दोनों घायल व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और दोनों ने डंडे से हमला करने की भूमिका केवल सह-अभियुक्त नगेंद्र भाटिया को सौंपी है। आवेदक और सह-अभियुक्त तेज प्रकाश यादव द्वारा घायल व्यक्तियों को मुक्के और लात मारना बताया जाता है, अतः आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त नगेंद्र भाटिया से भिन्न आधार पर है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सूचनाकर्ता, जो घटना में स्वयं भी घायल हुआ था, की चोटों से बाद में मृत्यु हो गई। आवेदक को सौंपे गए एक प्रकरण के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की गई है। आवेदक दिनांक 25.9.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि सूचनाकर्ता संस्कार का बयान और प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों ही मृत्युकालीन कथन के समतुल्य हैं क्योंकि सूचनाकर्ता घटना के लगभग पंद्रह दिन बाद उसी घटना में लगी चोटों से दम तोड़ गया और दूसरे घायल व्यक्ति आयुष राज ने भी तीनों अभियुक्त व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से फँसाया है।
9. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का प्रकरण बी.एन.एस. की धारा 3(5) के अंतर्गत सामान्य आशय की दृष्टि से आता है, अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।
10. आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त नगेंद्र भाटिया से भिन्न है।
11. उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक



आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता हो।

12. आवेदक का प्रकरण सह-अभियुक्त से भिन्न है। "दोष सिद्ध होने तक निर्दोषिता की धारणा" का सुविदित सिद्धांत जमानत को नियम के रूप में और कारावास को अपवाद के रूप में स्थापित करता है।
13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध को कारित करने का आरोप है, जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया गया है।
14. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के प्रकरण में पुनः इस बात पर बल दिया है कि यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में रोका नहीं जाना चाहिए, को नहीं भुलाया जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
15. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराती हो।
16. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घायल व्यक्ति को घटनास्थल पर बुलाने और घायल एवं मृत व्यक्ति पर डंडे से हमला करने की मुख्य भूमिका सह-अभियुक्त नगेंद्र भाटिया को सौंपी गई है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय की यह राय है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।



17. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - विशाल पांडेय को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

विकास वर्मा